

मा. कृ.अ.प. उत्तरी शीतोषण क्षेत्रीय केन्द्र  
मा. कृ. अ. प. केन्द्रीय भेड व ऊन अनुसंधान संस्थान  
गडसा (कुल्लू) हि.प्र. 175141

क्रमांक: 7(54)एम/2015/ 573.

दिनांक : 19.08.2015


कुटेशन सूचना

इस केन्द्र के प्रशासनिक तथा लेखाअनुमान में कार्यलय रामनवी कम्प्यूटर यार्ड औ अनुबन्ध वे अध्यर पर करताने के लिए सेवानिवृत्त सेनिकों/प्राइवेट पार्टी से अपनी उचित व धूनतम दर मारिश आधार पर प्रस्तुत करने के लिए कुटेशन आमंत्रित किये जाते हैं । साथ ही ठेकेदार वे, दास पेन न० होना आवश्यक है । ठेकेदार की आयु 60 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये तथा सेवानिवृत्त सेनिकों को वर्गीयता दी जायेगी ।

नियम व शर्तें :

- 1 कुटेशन सादा कागज पर इस केन्द्र के अध्यक्ष महोदय के नाम बाद लिपाफे में स्वीकार किये जायेंगे, कुटेशन वेन्ड्र में दिनांक 10.09.2015 पूर्वाहन 11.00 बजे तक प्रस्तुत करना है । सर्त / तार व डाक द्वारा भेजी गई हथा देर से प्राप्त कुटेशनों पर कोई विवार नहीं किया जायेगा । कुटेशन उसी दिन दोपहर 12-00 बजे कुटेशनदाता के समक्ष खोले जायेंगे । कुटेशन दाता के पास पेन न०-अनिवार्य होना चाहिये जिस की छाया प्रति कुटेशन के साथ संलग्न करनी होगी ।
- 2 ठेकेदार को कुटेशन के साथ 1000-00 रुपये भात्र साई राशि के रूप में बैंक ड्राफ्ट जो सी. एस. डब्ल्यू. आर. आई यूनिट एन. टी. आर. एस. गडसा, के नाम भारतीय स्टेट बैंक शाखा मूत्तर पर देय हो जान कराना पड़ेगा । बिना धरोहर राशि के कोई कुटेशन स्वीकार नहीं किया जायेगा ।
- 3 अनुबन्ध की उचित व न्यूनतम दर ही स्वीकार की जायेगी तथापि भारत/ हिमाचल सरकार द्वारा निर्धारित श्रमिक दर को पूर्ण नहीं करेगा उसे निरस्त किया जा सकता है ।
- 4 दर प्रति माह के हिसाब से प्रस्तुत करना है । अनुबन्ध की अवधि 12 माह तक रहेगी, लेकिन कार्य की अवधि कम या अधिक भी की जा सकती है । यदि उक्त अवधि के दौरान ठेकेदार द्वारा किसी भी प्रकार का व्यवहार था कार्य असंलग्नक रहा तो अनुबन्ध निश्चित समय अवधि से पूर्व भी समाप्त किया जा सकता है । जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी रखयं ठेकेदार की होगी । इस दशा में धरोहर राशि जब्त की जा सकती है ।
- 5 सफल दरदाता को कुल ठेका राशि का 5 प्रतिशत बतौर धरोहर राशि जगा करवानी होगी धरोहर राशि बैंक ड्राफ्ट जो सी. एस. डब्ल्यू. आर.आई यूनिट एन. टी. आर. एस. गडसा, के नाम भारतीय स्टेट बैंक शाखा मूत्तर पर देय हो अथवा एफ.डी.आर. जो अधोहस्ताक्षरी के नाम गिरवीं रखा गया हो, द्वारा भी जना करवा सकते हैं । यह राशि ठेकेदार को लिखित प्राधना पर ठेका संतोषजनक समाप्त होने पर लौटा दी जाएगी ।
- 6 ठेकेदार/प्रतिनिधि के कार्य की समय सीमा कार्यालय समय अनुसार होगी ।
- 7 ठेकेदार/प्रतिनिधि कम से कम बारवीं पास कम्प्यूटर प्रशिक्षण का डिप्लोमा होना आवश्यक है । इस के लिये दोनों दस्तावेजों की प्रतिलिपि कुटेशनों के साथ संलग्न करना होगा । सेवा निवृति के प्रगाण पत्र की प्रतिलिपि साथ संलग्न करना होगा । सफल ठेकेदार को ठेका प्रदान होने से पूर्व नियमानुसार इकारानामा प्रस्तुत करना होगा ।
- 8 ठेकेदार/प्रतिनिधि पूर्ण रूप से स्वरक्ष्य होना चाहिये तथा बीड़ी, शराब तथा अन्य मादक पदार्थों का सेवन करने वाला नहीं होना चाहिये । कार्य में किसी भी प्रकार की शिथिलता, गवाही की गई तो ठेका निरस्त किया जा सकता है । ऐसी दशा में धरोहर राशि जब्त की जा सकती है ।
- 9 अनुबन्ध की अवधि में ठेकेदार या उसके प्रतिनिधि को केन्द्र की राम्पति को बचाना होगा । यदि कोई नुकसान होता है तो उसकी क्षतिपूर्ति का भुगतान स्वयं ठेकेदार को नकद करना होगा अन्यथा उनके देय बिल में से काट लिया जायेगा ।
- 10 ठेकेदार/प्रतिनिधि को किसी असामाजिक गतिविधियों में संलिप्त नहीं होना चाहिये तथा उन्हें केन्द्र के अधिकारी/ कर्मचारियों के साथ सौहारदूर्पूर्ण व्यवहार रखना होगा अन्यथा ठेका तुरन्त निरस्त किया जाएगा ऐसी दशा में धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी ।
- 11 कार्य के बिल का भुगतान प्रत्येक माह ठेकेदार द्वारा बिल दो प्रतियों में पूर्व प्राप्ति रसीद के साथ प्रस्तुत करने पर निश्चित समय अवधि 30-45 दिनों में वित्त एवं लेखाधिकारी महोदय, केन्द्रीय भेड व ऊन अनुसंधान संस्थान, अविकानगर द्वारा किया जायेगा । नियमानुसार आयकर तथा अधिमार (जो लागू होगा) काटा जाएगा ।
- 12 प्रभारी अनुभाग/ अध्यक्ष महोदय के दिशा - निर्देशों के अनुसार कार्य करना होगा । ठेकेदार/प्रतिनिधि को कार्यालय के प्रत्येक कार्य की गोपनीयता रखनी होगी ।
- 13 केन्द्र के सक्षम अधिकारी को बिना कोई कारण बताये किसी भी ५% / रामी कुटेशनों को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार सुरक्षित है ।
- 14 ठेकेदार/प्रतिनिधि को कम्प्यूटर टेस्ट देना अनिवार्य है ।

यदि किसी कारणवश उपरोक्त दिनांक को अवकाश होता है तो इस कार्य के द्वारा अगली दिनांक लागू होगी ।

  
20.08.15

कार्यकारी अध्यक्ष

वितरण:

- 1) नोटिस बोर्ड, उत्तरी शीतोष्ण क्षेत्रीय केन्द्र, गडसा ।
- 2) सैनिक कल्याण बोर्ड, कुल्लू (हि. प्र.) ।
- 3) प्रधान, ग्राम पंचायत गडसा, दियार, शियाह, हुरला व थरास ।
- 4) प्रभारी ए. के. एम. यूनिट, केन्द्रीय भेड व ऊन अनुसंधान संस्थान, अविकानगर को इस आशय के साथ प्रेषित है कि कुटेशन सूचना को कृप्या संस्थान के बैब साईट में डालने का श्रम करें ।

